मु0न0:– 83/2023

उनवान:– कजोड सिंह बनाम अमरसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांक:– 17.08.2023

मु0न0:–83/2023

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

कजोड सिंह दत्तक पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी कुढावल तहसील टोडाभीम।

सायल

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र मंगू सिह
2. रघुवीरसिंह पुत्र मंगू सिह
3. कप्तान सिंह पुत्र गोपाल सिंह
4. महेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह
5. दिनेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह
6. असरफी पत्नि गोपाल सिंह
7. इन्द्र सिंह पुत्र शिब्बू सिंह
8. फतेहसिंह पुत्र शिब्बू सिंह
9. महेन्द्र सिंह पुत्र शिब्बूसिंह
10. महाराज सिंह पुत्र शिब्बूसिंह
11. राजेन्द्र सिंह पुत्र शिब्बूसिंह
12. लाखन सिंह पुत्र शिब्बूसिंह
13. गुमानसिंह पुत्र दलसिंह
14. जगमोहन सिंह पुत्र दलसिंह
15. श्यामवती पत्नि ओमप्रकाश सिंह
16. हीरा सिंह पुत्र जीवनसिह
17. कजोड सिंह पुत्र रामसिंह
18. ख्यालसिंह पुत्र सुगनसिंह
19. दानो पुत्री सुगनसिह
20. पानो पुत्री सुगनसिंह
21. विमला पुत्री सुगनसिंह
22. मु0 बादामी पत्नि सुगनसिंह
23. दुर्गा सिंह पुत्र बजरंगसिंह
24. हुकमसिह पुत्र बजरंगसिंह
25. हवलदार सिंह पुत्र बजरंगसिंह
26. भगवानसिंह पुत्र भैरोसिंह
27. मुंशीसिंह पुत्र रामसिंह
28. राजवीरसिंह पुत्र रामसिंह
29. हीरासिंह दत्तक पुत्र विशनसिह
30. लक्ष्मण पुत्र अणत्या सिंह
31. द्वारिका पुत्र अणत्य सिह
32. किशनी पुत्री अणत्य सिंह
33. मीरा पुत्री अणत्य सिंह
34. मुन्नी पुत्री अणत्य सिंह

समस्त जातियान राजपूत निवासीयान कुढावल तहसील टोडाभीम।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:26:08 IST
Reason: SelfAttested

(1)

मु0न0:– 83/2023

उनवान:– कजोड सिंह बनाम अमरसिंह

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:–श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट सायल

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट गैरसायल

दिनांक:– .05.2024

निर्णय

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कुढावल की आराजीयात ख0न0 12/0.47, 13/761/0.09, 14/0.01, 15/0.34, 16/0.34, 17/0.27, 18/0.35, 19/760/0.10, 20/0.13, 21/0.27, 23/0.13, 51/763/0.11 है0 मे सायल बहिस्सा 1/8 के खातेदार काश्तकार है, ख0न0 10/0.81, 159/782/0.24, 31/0.18, 32/0.19, 33/0.05, 51/0.08, 52/0.18, 53/0.18, 54/0.19, है0 मे सायल बहिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है ख0न0 30/0.21, 55/0.20, 57/768/0.03, 58/0.35, 58/767/0.05 है0 मे सायल बहिस्सा 1/12 के खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के गैरसायलान अपने–अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। वर्णित राजीयात सायल व गैरसायलान को विरासत मे मिली है पूर्व उक्त सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी बुजुर्गान के नाम रही है सायल अपने हिस्से पर काबिज है शेष हिस्से पर गैरसायलान काबिज है।

बॉका दिनांक 28.07.2023 का है कि सायल अपने हिस्से की आराजी मे खडी फसल की देखभाल कर रहा था कि गैरसायलान आये तथा आराजी को दिखाने लगे सायल द्वारा पूछने पर कहने लगे कि हमउ क्त आराजी को बेच रहे है सायल द्वारा यह कहने पर कि तुमने तुम्हारा हिस्सा पूर्व मे ही बेच दिया है अगर तुमको उक्त आराजी बेचनी है तो पहले तहसील मे चलकर बटवारा करा लेते है। इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे की हम ना तो कही जायेगे नाही बटवारा करायेगे तथा तुमको तुम्हारे कब्जे की आराजी का बेचान करके रहेगे।

प्राईमाफेसी केस सायल के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को ताफैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी ख0न0 12/0.47, 13/761/0.09, 14/0.01, 15/0.34, 16/0.34, 17/0.27, 18/0.35, 19/760/0.10, 20/0.13, 21/0.27, 23/0.13, 51/763/0.11, 10/0.81, 159/782/0.24, 31/0.18, 32/0.19, 33/0.05, 51/0.08, 52/0.18, 53/0.18, 54/0.19, 30/0.21, 55/0.20, 57/768/0.03, 58/0.35, 58/767/0.05 है0 मे सायल के हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे, आराजी को खुर्द–बुर्द नही करे, तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान न0 3 ता 34 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 1 व 2 ने जरिये [illegible] किया कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जिस प्रकार तहरीर किया गया है वह [illegible] व झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। प्रार्थना पत्र मे मद न0 2,3, [illegible] के कॉलम लाइल्मी स्वीकार है। वर्णित आराजीयात मे सायल व गैरसायल न0 1 व 2 [illegible] जमाबन्दी सहखतोदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं बॉका दिनांक की घटना बिल्कुल गलत है सायल [illegible] प्रार्थना पत्र ना तो प्रथम दृष्टया साबित है नाही सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है। गैसायलान विवादित आराजीयात मे सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। और सहखातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता यदि सायल के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो गई तो गैरसायलान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:26:08 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात सायल व गैरसायलान को विरासत मे मिली है पूर्व उक्त सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी बुजुर्गान के नाम रही है सायल अपने हिस्से पर काबिज है शेष हिस्से पर गैरसायलान काबिज है, प्राईमाफेसी केस सायल के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है जबकि अस्थायी निषेंधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे सायल व गैरसायल न0 1 व 2 मुताबिक जमाबन्दी सहखतोदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं सायल का प्रार्थना पत्र ना तो प्रथम दृष्टया साबित है नाही सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है। गैरसायलान विवादित आराजीयात मे सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। और सहखातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता यदि सायल के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो गई तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेंदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमया जावे।

उभयपक्ष विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** पत्रावली मे शामिल ग्राम बालावास की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 की आराजीयात ख0न0 12/0.47, 13/761/0.09, 14/0.01, 15/0.34, 16/0.34, 17/0.27, 18/0.35, 19/760/0.10, 20/0.13, 21/0.27, 23/0.13, 51/763/0.11 है0 मे सायल बहिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार है, तथा शेष हिस्से मे गैरसायल न0 1 ता 15 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा ख0न0 10/0.81, 159/782/0.24, 31/0.18, 32/0.19, 33/0.05, 51/0.08, 52/0.18, 53/0.18, 54/0.19, है0 मे सायल वहिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल न0 1 ता 15 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 30/0.21, 55/0.20, 57/768/0.03, 58/0.35, 58/767/0.05 है0 मे सायल बहिस्सा 1/12 के खातेदार काश्तकार है गैरसायल न0 1 ता 15 व अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उभय पक्षकारान सहखातेदार है और सहखातेदारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होकर गैरसायलान के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः—** प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होकर गैरसायलान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन गैर सायल के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः—** वर्णित आराजीयात के संबंध मे गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:26:08 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, व अपूर्तनीय क्षति सायल के पक्ष मे साबित नही होने से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय